



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 ज्येष्ठ 1935 (श0)
(सं0 पटना 443) पटना, बुधवार, 5 जून 2013

गृह (विशेष) विभाग

अधिसूचनाएं
4 जून 2013

सं0 सी0/सी0.आई.पॉल-104/95-पार्ट-II-4895—एस0एल0पी0(सी)सं08519/2006 भारत सरकार बनाम गुजरात सरकार एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश को ध्यान रखते हुए राज्य में सार्वजनिक स्थलों पर निर्मित अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं को हटाने/पुनर्स्थापित करने/नियमित करने के लिए, भारत-संविधान के अनुच्छेद 166 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :- (1) यह नियमावली "बिहार अनधिकृत धार्मिक संरचना निर्माण सर्वेक्षण एवं विनियमन, पुनर्स्थापन एवं इसका निराकरण (Removal) नियमावली 2013" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ :- इस नियमावली में जब तक किसी संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) "नियत तिथि" से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधिसूचित होने की तिथि;

(ख) "अनधिकृत धार्मिक संरचना" से अभिप्रेत है सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक संरचना का निर्माण यथा - मंदिर, गिरिजाघर, मस्जिद एवं गुरुद्वारा इत्यादि ;

(ग) "सार्वजनिक स्थल" से अभिप्रेत है सार्वजनिक पार्क, सड़क, गली, सरकारी भूमि अथवा कोई भी भवन या भूमि जो निजी सम्पत्ति नहीं है।

3. सार्वजनिक स्थलों पर निर्मित धार्मिक संरचनाओं का सर्वेक्षण :- (1) भविष्य में किसी भी सार्वजनिक भूमि पर धार्मिक संस्थाओं के नाम पर कोई निर्माण नहीं किया जायेगा और न ऐसा करने की अनुमति दी जायेगी।

(2) पहले से ही निर्मित धार्मिक संस्थाओं के अनधिकृत संरचनाओं को हटाने के लिए 'केस-टू-केस' आधार पर पृथक रूप से विचार किया जायेगा। इसके प्रयोजनार्थ राज्य में पहले से ही निर्मित धार्मिक संरचनाओं के पूर्व सर्वेक्षण के आधार पर सभी धार्मिक स्थलों का पृथक रूप से पुनर्विलोकन करके और उनकी पहचान करने के पश्चात् आगे समुचित कार्रवाई हेतु जिला स्तर पर एक समिति गठित की जायेगी जिसके अध्यक्ष जिला पदाधिकारी होंगे तथा पुलिस अधीक्षक, अपर समाहर्ता, संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदस्य होंगे एवं अनुमंडल पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे। समिति द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर अनधिकृत संरचनाओं को पृथक रूप से 'केस टू केस' आधार पर पुनर्विलोकन करके, हटाने/पुनर्स्थापित करने/नियमित करने के संबंध में की गई अनुशंसा के आधार पर अनधिकृत संरचनाओं को हटाने हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी स्वयं सक्षम होंगे।

4. अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं का विनियमन :- सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक संस्थाओं की नियत तिथि को 30 वर्षों से अधिक पुराने संरचनाओं को नियमित किया जाएगा :

परन्तु उसे हटाने के संबंध में कोई मामला किसी न्यायालय में लम्बित नहीं हो तथा उसके नियमितिकरण के चलते यातायात की सहज गति बनाए रखने में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। यथासंभव कम से कम क्षेत्रफल में बनी संरचना को नियमित किया जायेगा तथा इसके लिये भी राज्य सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा अवधारित समुचित फीस की वसूली की जायेगी। ऐसे मामले में विनियमन का प्रस्ताव जिला पदाधिकारी के द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेजा जाएगा।

5. अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं को हटाना/प्रतिस्थापन :-(1) सार्वजनिक स्थलों पर निर्मित धार्मिक संरचनाओं की पहचान करने के पश्चात् सर्वप्रथम स्थानीय समुदाय के सहयोग से विचार-विमर्श एवं सहमति के आधार पर वैकल्पिक जमीन पर उनको हटाने/प्रतिस्थापित करने या अन्य रीति से शांतिपूर्ण रीति से समाधान की खोज करते हुए वैसी संरचनाओं के संबंध में समाधान ढूँढ़ने का प्रयास किया जाएगा।

(2) सहमति के आधार पर अंतिम समाधान न होने की दशा में बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम तथा अन्य संगत विधियों में विहित प्रक्रिया अपनाते हुए प्रत्येक मामले में 'केस-टू-केस' आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

(3) सार्वजनिक स्थलों पर तीस वर्षों से कम अवधि वाली धार्मिक संस्थाओं की संरचनाओं को हटाने के लिये बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के अधीन कार्रवाई यथा संभव तुरत की जायेगी। अनधिकृत संरचनाओं को हटाने की ऐसी कार्रवाईयों के दौरान समाज में तनाव उत्पन्न होने के कारण जहाँ विधि-व्यवस्था की गम्भीर समस्या होने की संभावना हो वहाँ जिला पदाधिकारी द्वारा ऐसे मामलों को विनिश्चय हेतु सरकार को अग्रसारित किया जा सकेगा तथा सरकार के अनुमोदन से समुचित कार्रवाई की जा सकेगी। जहाँ सरकार द्वारा किसी अनधिकृत संरचना को तत्काल नहीं हटाने का विनिश्चय किया जाता हो वहाँ वैसी संरचना को इस हद तक कम करने/छोटा करने का प्रयास किया जाएगा कि बिना किसी व्यवधान के आम जनता के लिये सहज एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनी रहे।

(4) केन्द्र सरकार या केन्द्रीय लोक उपक्रमों के स्वामित्व के अधीन भूमि पर बने अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं को प्रतिस्थापित करने/हटाने/विनियमित करने के पूर्व संबंधित जिला पदाधिकारी को केन्द्र सरकार/केन्द्रीय लोक उपक्रम के सक्षम पदाधिकारी की अधियाचना/सहमति/मंतव्य प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं के संबंध में प्रतिवेदन :- जिला पदाधिकारी प्रतिमाह उपर्युक्त निर्देशों के अधीन की गयी कार्रवाई के संबंध में सरकार को, संलग्न विहित प्रपत्र में एक प्रतिवेदन गृह विभाग में समर्पित करेंगे।

7. अन्यान्य :- राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी धार्मिक संस्थाओं की कोई अनधिकृत संरचना का निर्माण न हो।

8. निर्वचन- जहाँ इस नियमावली के किसी प्रावधान के निर्वचन के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न हो, वहाँ वह विषय गृह (विशेष) विभाग, बिहार को निर्देशित किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

प्रीता वर्मा,

सरकार के विशेष सचिव।

4 जून 2013

सं० सी०/सी०.आई.पॉल-104/95-पार्ट-II-4896, दिनांक 4 जून 2013 अधिसूचना संख्या 4895, दिनांक 04.06.2013 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत-संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

प्रीता वर्मा,

सरकार के विशेष सचिव।

The 4th June 2013

No. C./C.I.POL-104/95-Part-II-4895—In view of order passed by the Hon'ble Supreme Court in S.L.P. (c) No. 8519 of 2006 Union of India v/s State of Gujrat and others, and in exercise of the powers conferred by the Article 166 of the Constitution of India; the Governor of Bihar hereby makes the following rules for removal/relocation and regularization of the unauthorised religious structures constructed on public places in the state:-

1. Short title, extent and commencement:—(1) These rules may be called "The Bihar unauthorised religious structures construction survey and its regularization, relocation and removal Rules, 2013."

(2) It shall extend to the whole of the Bihar State. It shall come into force with immediate effect.

2. Definitions :—In these rules, unless the context otherwise requires:-

- (a) “Fixed date” means the date of commencement of these rules;
- (b) “Unauthorised religious structures” means those religious structures such as temple, church, mosque, Gurudwara, and etc constructed on public places;
- (c) “Public places” means public park, road, lane, Government land and any building or land which is not a private property.

3. Survey of the religious structures constructed on public places :—(1) In future, no construction on any public place in the name of religious institutions shall be made or allowed to be made.

(2) The unauthorised structures of religious institutions already constructed shall separately be taken into consideration on case-to-case basis for their removal. For this purpose, by reviewing all the religious places separately on ground of the previous survey of the religious structures already constructed and after those having been identified, a committee shall be constituted at the district level for further appropriate action, The Chairman of which will be The District Officer and Police Superintendent, Additional Collector, concerned Sub-divisional Officer and Sub-divisional Police Officer will be the Members and Sub-divisional Officer will be the Member Secretary.

District Officer shall himself/herself be competent for the removal of such unauthorised structures on ground of the recommendations made, after separately reviewing such unauthorised structures constructed on public places on case-to-case basis, by committee regarding removal/relocation/regularization of such structures.

4. Regularization of unauthorised religious structures :—Such religious institutions constructed on public places, which are much older structures than 30 years from the above said fixed date shall be regularized:

Provided that no case relating to their removal is pending in any court and no interruption in the maintenance of easy traffic should be due to their regularization. The structures constructed in the minimum possible area shall be regularized and even for this purpose, the prescribed proper fees shall be realized by the Revenue and Land Reforms Department of the State Government. In such cases the proposal of regularization shall be sent through the Divisional Commissioner to the Revenue and Land Reforms Department by the District Officer.

5. Removal/Relocation of the unauthorised religious structures :—(1) After the religious structures constructed on the public places having been identified, and on the basis of the discussion and consent with the foremost co-operation of the local communities there shall be made an attempt for their removal/relocation on the other places or to find out a solution regarding those structures peacefully or in any other manner alike whatsoever.

(2) In case no final solution comes out on consent, actions shall be taken on case-to-case basis in each and every such cases, by following the procedures prescribed in the Bihar Public Land Encroachment Act and other relevant laws.

(3) The actions shall be taken as early as possible under the Bihar Public Land Encroachment Act for removal of such structures of the religious institutions which are on public places for the period less than thirty years. In case the possibility of the Law and order problem arises seriously due to prevailing tension in society during such actions being taken for removal of the unauthorised structures, such cases may be forwarded by the District Officer concerned to the Government for decision and with the approval of the Government an appropriate action may be taken. In case no decision is taken on part of the Government for immediate removal of any unauthorised structure, there shall be made an attempt to reduce those structures to that extent that there may not be any interruption in the easy and safe traffic system for common public.

(4) It shall be imperative for the District Officer concerned to obtain requisition/consent/opinion of the competent officer of the central government/ Central public undertaking before removal/relocation /regularization of the unauthorised religious structures constructed on the land under the ownership of the central government or central public undertaking.

6. Reporting on the unauthorised religious structures :—The District Officer concerned shall submit a report every month, regarding the action taken under the above said directions in the prescribed format enclosed, to the Government in the Home Department.

7. Miscellaneous :—It shall be on part of the State Government to ensure that in future there may not be any construction of any unauthorised structure of any religious institutions on public places.

8. Interpretation :—In case any doubt arises out in interpretation of any provision of these rules, such matters shall be referred to the home (special) Department, Bihar; and its decision shall be final upon that.

By order of the Governor of Bihar,
PREETA VERMA,
Special Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 443-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>